



छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)  
शास्त्री चौक, रायपुर (छ.ग.) - 492001  
दूरभाष नंबर :- 0771-4918927

Email: - office.rera.cg@gov.in Website: - https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक- 956 / रेरा / 2020 /

रायपुर, दिनांक 04 / 09 / 2020

// शुद्धि पत्र //

विषय :- रेरा में ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2018-19 प्रस्तुत करने पर विलंब शुल्क देने के संबंध में।  
संदर्भ :- क्रमांक-46 / रेरा / 2020 / 798, रायपुर, दिनांक 29 / 07 / 2020

---00---

भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4(2)(L)(D) में प्रमोटर्स द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर अपने खातों की व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से लेखा (AUDIT) प्रस्तुत करने के संबंध में परिपत्र क्रमांक-46 / रेरा / 2020 / 798, रायपुर, दिनांक 29 / 07 / 2020 जारी किया गया था। इस परिपत्र के बिन्दु क्रमांक-01 में आंशिक संशोधन किया जाता है। जिसके अनुसार 31 अगस्त 2020 के स्थान पर 30 सितम्बर 2020 पढ़ा जावें। अर्थात् संशोधन उपरांत बिन्दु क्रमांक-01 निम्नानुसार होगा :-

बिन्दु क्रमांक-01 "ऐसे समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जिनके द्वारा 31 मार्च, 2019 के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, को 30 सितम्बर 2020 तक Annual Audit Report प्रस्तुत/अपलोड करने पर विलंब शुल्क देय नहीं होगा। यदि ऐसे प्रोजेक्ट द्वारा 30 सितम्बर 2020 के पश्चात् Annual Audit Report प्रस्तुत की जाती है तो विलंब शुल्क यथावत् देय होगा।"

(मान.अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुपिया मिश्रा)  
संजय मिश्रा

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
रायपुर